न्याय आपके द्वार–2018

राजस्व लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–श्री मांगीलाल रेगर, आर.ए.एस.

केम्प– भदेसर

प्रकरण संख्या–258 / 2014

दिनांक 29–06–2018

उनवान

बंशीलाल पिता रामनाथ नाई वयस्क निवासी रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर

...............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.........विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित– 1.श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी
2. तहसीलदार भदेसर

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थी के स्वामित्व , आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम रेवलियाखुर्द पटवार हल्का रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या नये 188 पुराने 161 में अंकित आराजी नम्बर 859 / 1 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है सेटलमेन्ट किया जिसके वर्तमान् खाता संख्या 186 में अंकित आराजी नम्बर 1115 रकबा 0.63 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है । ताईद में नकल जमाबन्दी संवत् 2065–2065 एवं आधार वर्ष नये पुराने नक्शा ट्रेस , मिलान क्षेत्रफल संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:52:10 IST
Reason: SelfAttested

29.6.18

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

2. यह कि प्रार्थी कि प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार 5 बीघा (1.08 हैक्टेयर) भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन सेटलमेन्ट होन से भू प्रबन्ध अधिकारीयों ने प्रार्थी के रकबे 0.45 हैक्टैयर को राजस्व रेकार्ड में हाल आराजी नम्बर 1116 में मिलाकर बिलानाम अंकित कर दिया है जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नही था ।

3. यह कि भू प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रार्थी की आराजीयात के रकबे 0.45 हैक्टैयर को कम करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं था तथा प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में रकबे को कम करने का कोई कारण भी उल्लेखित नहीं किया गया है भू प्रबन्ध अधिकारियों को प्रार्थी के हक व हिस्से को मन मुताबिक परिवर्तन कर दिया है यह सब सबंधित कर्मचारियेां ने प्रार्थी की उक्त भूमि के रकबे में हेर फेर करते हुए गंभीर त्रृटि कारित की है इसलिए राजस्व रेकार्ड में अपने हक व हिस्से अनुसार कमी रकबे 0.45 हेक्टैयर को हाल आराजी नम्ब्र 1116 रकबा 1.48 हैक्टेयर मे से प्रार्थी के नाम कर रकबे को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । जो स्वीकर फरमाया जावे ।

विपक्षी तहसीलदार भदेसर से मौका एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब तलब किया । राजस्व लोक अदालत केम्प भदेसर पर पैराकार सरकार नायब तहसीलदार भादसोडा की और से जवाब एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक वृत बानसेन के प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया गया कि :–

प्रार्थना पत्र में वर्णित कलम संख्या 1 लगायत 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है । वादी के पुराने आ0न0 859/1 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज थी जिसक वर्तमान सेटलमेन्ट में नये आराजी नम्बर 1115 रकबा 0.63 हैक्टेयर बनाये है जबकि गणना अनुसार 1.08 हैक्टैयर होना चाहिए यानि कभी रकबा 0.45 हैक्टैयर कम दर्ज किया है जबकि मौके पर वादी का कब्जा आ0न0 1115 रकबा 0.63 हैक्टैयर एवं आ0न0 1116 रकबा 0.45 पर है मिलान क्षेत्रफल अनुसार आ0न0 1115 पुराने आ0न0 859/1 से एवं 1116 पुराने आ0न0 859 मी से बनना अंकित किया है इस प्रकार कमी रकबा मूल आराजी नबर 859 मी. से मिलना अंकित है । अतः प्रार्थी को कमी रकबा आराजी नम्बर 1116 में से 0.45 हक्टेयर कब्जे अनुसार क्षतिपूर्ति किया जाना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:52:10 IST
Reason: SelfAttested

29.6.17
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत जमाबन्दी एवं पैराकार सरकार तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से प्रार्थना पत्र के तथ्य प्रमाणित होते है कि प्रार्थी के साबिक आ0न0 859/1 रकबा 5 बीघा भूमि का भू प्रबन्ध से कायम नवीन राजस्व रेकार्ड में 0.45 हैक्टैयर रकबे का विलोपन कर दिया गया जो प्रार्थी पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है ।

उपरोक्त विवेचन एवं नायब तहसीलदार भादसोडा की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज मौजा रेवलियाखुर्द प0म0 रेवलियाखुर्द की साबिक आराजी नम्बर 859/1 रकबा 05 बीघा भूमि के भू प्रबन्ध से कायम नवीन आ0न0 1115 रकबा 0.63 हैक्टेयर में विलोपित किये गये रकबे का समायोजन बिलानाम आराजी नम्बर 1116 रकबा 0.45 हैक्टैयर से किया जाता है तथा प्रार्थी के खातेदारी हक से पुनः राजस्व रेकार्ड में शुद्वि से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार राजस्व नक्शा में भी अमलदरामद किया जावे । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

29/6/18

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:52:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner